केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/92 दिनांक: 29.03.2017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00086
CICOM/R/2016/1398

अपीलकर्ता : श्री मुकेश कुमार जैन,
बी – 1680, हौलम्बी कलां, फेस -2,
दिल्ली - 110082.

निर्णय की तारीख : 29.03.2017

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 07.10.2016 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 20.10.2016 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री दिनेश कुमार |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 07.12.2016 |
| आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि | 191535/16.12.2016 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि | 105/28.03.2017 |

1. अपीलकर्ता द्वारा दाखिल प्रथम अपील डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण यह अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 28.03.2017 को प्राप्त हुआ । अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं.CIC/SA/A/2015/001197 से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त (एस.ए.) कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने के पश्चात आवेदन के बिंदु सं. 1 के संदर्भ में श्री आर.पी.ग्रोवर, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त (वाई.ए.) कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि उक्त द्वितीय अपील आदेश से संबंधित प्रतिवादियों द्वारा कोई पत्र प्राप्त हुए हों तो इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए । आवेदन के बिंदु सं. 2 के संदर्भ में किसी अन्य कार्यालय द्वारा किस माध्यम से अपीलकर्ता को सूचना दी गई, यह बता पाना केन्द्रीय सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी के लिए संभव नहीं है तथा बिंदु सं. 3 के संदर्भ में भी जन सूचना अधिकारी के लिए यह जानकारी देना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति कब और कैसे मिलेगी । बिंदु सं. 4 के तहत शिकायतकर्ताओं/प्रार्थियों के नाम, पता व फोन नं. मांगा गया है जो कि शिकायतर्का/प्रार्थियों का निजी मामला है जिसे किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जा सकता । अतः आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2, 3 एवं 4 के संबंध में श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

O/C

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर.पी.ग्रोवर, उप-पंजीयक व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के.सू.आ., नई दिल्ली ।

C.I.C. / के० सू० आ०
RECEIVED
30 MAR 2017
Initials:

C.I.C. / के० सू० आ०
ISSUED
31 MAR 2017
D. No. ....
Initials....